न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 81/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती सुन्दर कुंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह राजपूत (मृतक) के बजाय :–
1/1. शम्भूसिंह पिता स्वर्गीय किशोरसिंह राजपूत, निवासी कानोड़
1/2. टिकमसिंह पिता स्वर्गीय किशोरसिंह राजपूत, निवासी कानोड़
1/3. श्रीमती दुर्गा कुंवर पुत्री स्वर्गीय किशोरसिंह राजपूत, निवासी कानोड़
सर्वनिवासियान कानोड़, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता भानीराम लखारा (मृतक) के बजाय :–
1/1. रघुनाथ पिता स्वर्गीय मोहनलाल लखारा
1/2. बंशीलाल पिता स्वर्गीय मोहनलाल लखारा
1/3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्वर्गीय मोहनलाल लखारा
1/4. श्रीमती जमनाबाई पुत्री स्वर्गीय मोहनलाल लखारा
2. रतनलाल पिता भानीराम लखारा
3. रामचन्द्र पिता हीरालाल लखारा
4. भगवतीलाल पिता हीरालाल लखारा
5. केशवलाल पिता हीरालाल लखारा
6. शिवलाल पिता हीरालाल लखारा (मृतक) के बजाय :–
6/1. श्रीमती रेखा पत्नी स्वर्गीय शिवलाल लखारा
6/2. नटवरलाल पिता स्वर्गीय शिवलाल लखारा
6/3. कैलाश पिता स्वर्गीय शिवलाल लखारा
7. राधाकिशन पिता हीरालाल लखारा
8. गोवर्धनलाल पिता छगनलाल लखारा
9. जमनालाल पिता छगनलाल लखारा
10. सुरेश कुमार पिता छगनलाल लखारा
11. महावीर सिंह पिता स्वर्गीय किशोरसिंह राजपूत
12. रणजीत सिंह पिता स्वर्गीय किशोरसिंह राजपूत
13. देवेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय किशोरसिंह राजपूत
सर्वनिवासियान कानोड़, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर भीण्डर दिनांक
22.08.2022 प्रकरण संख्या 100/2021

———::———

उपस्थित :– 1– श्री काशीराम मेघवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रे. सं. 1 से 10
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. 14

———::———

निर्णय दिनांक 09–09–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण माता पुत्र होकर शामिल शरीक रहते हैं और शामलाती कारोबार हैं। वादी संख्या 2 की माता सुन्दर कुंवर का देहावसान 28–08–1987 को हो गया एवं उसी साल दिनांक 01–08–1987 को वादी संख्या 2 के पिता जी ने अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की वसीयत वादी संख्या 2 को कर दी। वादी संख्या 2 की माता व पिता द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति कस्बा कानोड़ में स्थित आराजी नंबर 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल आराजियात में से आराजी नंबर 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का विक्रय दिनांक 29–11–1977 को कर दी, जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। विक्रय पत्र में केवल 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का अंकन है, शेष आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सम्पूर्ण भूमि रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा को अपने नाम अंकित करवा लिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर उक्त विक्रय पत्र शून्य घोषित किया जावे तथा विवादित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 की माता होना स्वीकार है, किन्तु शामिल शरीक रहना व शामिल कारोबार करना स्वीकार नहीं है। आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की वसीयत वादी संख्या 2 को किया जाने का कथन गलत है तथा वादीगण द्वारा अपूर्ण सजरा प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी के पिता स्वर्गीय किशोरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वाधिकारी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। वादीगण का उक्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं है, न ही माननीय न्यायालय को किसी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजियात पर 28 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह खातेदार है। अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 22–08–2022 को प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–10–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 से 10 तक की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं दी गयी। बार–बार चक्कर काटने पर दिनांक 26–09–2023 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण के अधिवक्ता निरन्तर माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यवाहियों में भाग लेते रहें हैं तथा स्वयं अपीलान्ट टीकमसिंह दिनांक 21–03–2022 को माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ है एवं उसकी साक्ष्य हुई है। [illegible] विलम्ब से प्रस्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

गयी है एवं देरी का जो कारण अपीलान्टगण ने बताया है, वह किसी भी स्थिति में विश्वसनीय नहीं है। अपीलान्टगण ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की है, जिसे किसी भी स्थिति में कण्डोन नहीं किया जा सकता। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 1998 S.C. Page 2276, RRT 2001 (2) Page 1105, AIR 1998 S.C. Page 123, RRD 1994 Page 276, RRT 2011 (1) Page 614, RRD 1989 Page 259, RRD 1994 Page 697, RRT 2011 (1) Page 421 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–08–2022 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 27–10–2023 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपीलान्ट के अधिवक्ता लगभग हर पेशी पर उपस्थित रहे हैं तथा स्वयं दिनांक 21–03–2022 को अपीलान्ट टीकमसिंह की साक्ष्य हेतु पेश हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में देरी के जो कारण बताये गये हैं, वह प्रथम दृष्टया उचित एवं पर्याप्त कारण प्रकट नहीं होते हैं तथा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि वादीगण के पिता किशोरसिंह ने क्रय नहीं की, बल्कि उनकी माता ने क्रय की थी और कुन्दन कुंवर की मृत्यु उपरान्त वारिस के आधार पर किशोरसिंह के नाम नामान्तरित हुई है। किशोरसिंह ने आराजी नंबर 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि विक्रय की, जबकि आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का विक्रय नहीं किया। आराजी नंबर 1182 पर रेस्पोन्डेन्टगण ने जबरन अतिक्रमण किया है। आराजी नंबर 1181 की आड़ में रेस्पोन्डेन्ट ने दूसरा विक्रय पत्र फर्जी तैयार करवाया है। विवादित भूमि कुन्दन कुंवर की होकर वादीगण की मौरूसी भूमि होने से किशोरसिंह जी को विक्रय करने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण को आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे, रेस्पोन्डेन्ट का अतिक्रमण हटाया जाकर विक्रय पत्र निरस्त कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 के पूर्वाधिकारी द्वारा विवादित आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है तथा वह रेकार्डेड खातेदार होकर काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए प्रकरण में तनकीवार विवेचन कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर AIR 2019 S.C. Page 1430 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में विवादित आराजी नंबर 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि कुन्दन कुंवर बेवा सांवतसिंह राजपूत के खातेदारी में दर्ज है तथा कुन्दन कुंवर के फोत होने पर विरासत से किशोरसिंह के नाम दर्ज हुई है तत्पश्चात् किशोरसिंह द्वारा दिनांक 29–11–1977 को उक्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 के पूर्वाधिकारी मोहनलाल, छगनलाल, हीरालाल, रतनलाल पिता भानीराम लखारा के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया जाना प्रदर्श 5–ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है तथा प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 के पूर्वाधिकारी के खातेदारी में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 22–08–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09–09–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(दीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती सुन्दर कुंवर मृतक के बजाय शम्भूसिंह पुत्र स्व.किशोरसिंह राजपूत निवासी कानोड़, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

मोहनलाल मृतक के बजाय रघुनाथ पिता स्व.मोहनलाल लखारा, निवासी कानोड़, तहसील कानोड, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**81 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीण्डर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....22**.....माह.....**08**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**09**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री काशीराम मेघवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 22–08–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**09**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested